



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102020-222764
CG-DL-E-27102020-222764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3397]
No. 3397]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 27, 2020/कार्तिक 5, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2020/KARTIKA 5, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3847(अ)--केन्द्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि :--

- (क) 31 दिसंबर, 2020 वह तारीख होगी, जिसको या जिससे पूर्व, कर बकाया की बाबत घोषणा, उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार, घोषणाकर्ता द्वारा, पदाभिहित प्राधिकारी के पास फाइल की जाएगी;
 - (ख) 31 मार्च, 2021 वह तारीख होगी, जिसको या जिससे पूर्व, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय रकम, उक्त अधिनियम की धारा 3 की सारणी के तीसरे स्तंभ के अनुसार संदत्त की जाएगी; और
 - (ग) 1 अप्रैल, 2021 वह तारीख होगी, जिसको या जिसके पश्चात्, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय रकम, उक्त अधिनियम की धारा 3 की सारणी के चौथे स्तंभ के अनुसार संदत्त की जाएगी।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 85 /2020/फा.सं.आई.टी.(ए)/1/2020-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3847(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Direct Tax *Vivad se Vishwas* Act, 2020 (3 of 2020), the Central Government hereby notifies that the,—

- (a) 31st day of December, 2020 shall be the date, on or before which a declaration shall be filed to the designated authority, by the declarant, in accordance with the provisions of section 4 of the said Act in respect of tax arrear;
- (b) 31st day of March, 2021 shall be the date on or before which the amount payable under the said Act shall be paid as per third column of the Table to section 3 of the said Act; and
- (c) 1st day of April, 2021 shall be the date on or after which the amount payable under the said Act shall be paid as per fourth column of the Table to section 3 of the said Act.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 85/2020, F. No. IT(A)/1/2020-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy.